तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील/एल आर/2252/2005/दौसा

केसरिया के कायम मुकाम शम्भू कैलाश व अन्य बनाम भौरिया व अन्य

एकल-पीठ

श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः-

(1) श्री राजेन्द्र सिंह बराड अधिवक्ता अपीलार्थी।
(2) श्री सोहन पाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 5-4-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम रालावास तहसील लालसोट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 289 में अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2-8-02 के द्वारा प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5-4-05 के द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण आवंटीगण के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण ने जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि आवंटन कार्यवाही में राज्य सरकार आवश्यक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/2252/2005/दौसा** **केसरिया के कायम मुकाम शम्भू कैलाश व अन्य बनाम भौरिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार है। इस कारण प्रत्यर्थीगण की अपील इसी कानूनी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य थी। प्रत्यर्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया उसमें इस कथन का कोई उल्लेख नहीं है कि उनका कब्जा विवादित खसरा नम्बर के किस भाग पर है व किस प्रार्थी का कितना कब्जा किस भू भाग पर है। जब प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत किया तब उनका प्रमुख आधार यह था कि आवंटित भू भाग पर आवंटी का कब्जा नहीं है लेकिन इस कथन के सम्बन्ध में उन्होंने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जबकि इस कथन को साबित करने का भार उन्हीं पर था। जिसे साबित कराने में वह पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। उनका तर्क है कि विवादित भूमि का आवंटन उनको लगभग 37 वर्ष पूर्व हो चुका था इसलिये इतने लम्बे अन्तराल के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता का आवंटित भूमि पर वैधानिक अधिकार व कब्जा नहीं है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज थी। इस कारण विधिक प्रक्रिया द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन किया गया था। लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1965 में किये गये आवंटन को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। उनका तर्क है कि आवंटन तथ्यों को छिपाकर नहीं कराया गया है। इसलिये आवंटन, आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायायल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाकर उनके पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। 5- बहस के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पर उनके मकान ढाणी आदि बने हुये हैं। मौके पर आज तक आवंटियों को कभी कब्जा नहीं दिया गया। आवंटन के बारे में कभी भी विधिवत घोषणा नहीं की गई। आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन एवं Fraud के आधार पर किया गया है। आवंटियों ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की इसलिये आवंटन सही रूप से खारिज किया गया है। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे(20) 2013	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/2252/2005/दौसा** **केसरिया के कायम मुकाम शम्भू कैलाश व अन्य बनाम भौरिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेज 12 की नजीर पेश की। 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण आवंटीगण को दिनांक 1-5-65 को खसरा नम्बर 289 ग्राम रालावास में भूमि आवंटन की गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आवंटियों को कब्जा वर्ष 2001 में आवंटन के लगभग 35वर्ष बाद दिया जाना प्रकट होता है। उसके बाद भी आवंटियों का वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा हो यह किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। आवंटन के समय से लेकर दिनांक 7-11-2001 के पूर्व कभी भी आवंटियों का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटियों द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में न तो काश्त किया जाना प्रमाणित है और न ही किसी प्रकार से भूमि पर कब्जा प्राप्त कर भूमि की समुचित व्यवस्था किया जानाक साबित है। जबकि आवंटन शर्तो के अुनसार आवंटन के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में निश्चित सीमा तक आवंटियों को काश्त करना आवश्यक होता है। आवंटन नियमों के अनुसार जिस भूमि का आवंटन किया जाता है उसके बारे में आवंटियों से अपेक्षा की जाती है कि यथासम्भव तत्काल कब्जा प्राप्त कर फसल उगाने की कार्यवाही करें। इस प्रकरण में आवंटियों द्वारा वर्ष 1965 में आवंटन होने के उपरान्त वर्ष 2001 तक कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है। आवंटन शर्तो की अवहेलना करने के कारण आवंटन नियम 14(4)के तहत आवंटियों के पक्ष में किया गया आवंटन प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से निरस्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवंटियों द्वारा आवंटन के बाद न तो आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है और न ही काश्त की गई है। मण्डल की एकल पीठ ने आर बी जे(20) 2013 पेज 12 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई तो आवंटन को सही रूप से निरस्त किया गया है। जहां तक वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/2252/2005/दौसा** **केसरिया के कायम मुकाम शम्भू कैलाश व अन्य बनाम भौरिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुराना कब्जा होने का प्रश्न है, प्रार्थीगण अतिक्रमी हैं तो उन्हें वादग्रस्त आराजी को आवंटन अथवा नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन इस बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हैं और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। 8- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय बहाल रखते हुये आवंटित आराजी के आवंटन से पूर्व की स्थिति बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	